

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिरसं २/अ०प्र०-१-९९/२२

॥५

/पटना, दिनांक :- ११.१२.२३

औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न पथों के Ongoing/Maintenance कार्यों की राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक ०५.१२.२०२२ से दिनांक ०८.१२.२०२२ तक की गई जॉच में कई त्रुटियाँ/अनियमितता यथा WBM Grade-III Gradation test अनुज्ञेय सीमा के बाहर होने/ Filler Material की मात्रा Permissible limit से अधिक होने/रामरेखा नदी के उपर निर्माणाधीन पुल के Return Wall में Honeycombs पाये जाने, Abutement के पीछे Filter Media का कार्य किया हुआ नहीं पाये जाने, Expansion Joints में Elastomer/Strip seal के स्थान पर थर्मोकॉल का प्रयोग करने, Drainage spouts की जगह Plastic Pipes का प्रयोग करने, Embankment में Subgrade की जगह मिट्टी का ही कार्य किये जाने आदि एवं अनुरक्षाधीन ८ पथों में से ७ पथों का Overall Grading 'U' (Unsatisfactory) होना पाया गया।

२. उपर्युक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में कार्य प्रमंडल औरंगाबाद अंतर्गत पैकेज सं० BR02R832-Construction of Bridge over Ramrekha River पुल के निर्माण कार्य में पाई गई त्रुटियाँ/अनियमितता के लिए श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को विभागीय पत्रांक २१६५ दिनांक १९.१२.२०२२ द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया परन्तु श्री सिंह द्वारा इस संबंध में संसमय अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में इंगित कार्य में पाई गई त्रुटियाँ/अनियमितता से स्पष्ट है कि कार्य के पर्यवेक्षण में इनके द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई है तथा इसके लिए वे प्रथम दृष्टया दोषी हैं। अतएव मामले की समीक्षोपरान्त श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता के विरुद्ध अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

३. अतः श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम ९(१)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है।

४. निलंबन अवधि में श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता का मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

५. निलंबन अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम १०(१) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

६. श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाही के संचालनार्थ अलग से अधिसूचना निर्गत किया जाएगा।

७. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

११.१२.२३
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-१-९९/२२ १६ /पटना, दिनांक:- ११.१.२३

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

११.१.२३
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-१-९९/२२ १६ /पटना, दिनांक:- ११.१.२३

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित (वैयक्तिक दाव निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

११.१.२३
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 2/अ०प्र०-१-९९/२२ १६ /पटना/दिनांक:- ११.१.२३

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगबाद/प्रशाखा पदाधिकारी-५/प्रशाखा पदाधिकारी-१२, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री दिनेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

११.१.२३
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-१-९९/२२ १६ /पटना/दिनांक:- ११.१.२३

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

११.१.२३
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-१-९९/२२ १६ /पटना/दिनांक:- ११.१.२३

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेक्साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

११.१.२३
विशेष सचिव